

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2013/197

दिनांक: 10 सितम्बर, 2014

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/विधि महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय: स्नातक एवं विधि पार्ट द्वितीय व तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में प्रवेश के लिए नियमित विद्यार्थियों के लिए विलम्ब शुल्क के साथ जमा करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि महाविद्यालयों के स्नातक एवं विधि पार्ट द्वितीय व तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में प्रवेश के लिए नियमित विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क जमा नहीं करवा सके ऐसे विद्यार्थियों को दिनांक 13.09.2014 तक विलम्ब शुल्क 200/- के साथ प्रवेश शुल्क जमा करवाने का अवसर प्रदान किया जाता है तथा जिन नियमित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम में परिवर्तन कर उत्तीर्ण घोषित किया गया है, उन्हें परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिवस में नियमित विद्यार्थी के रूप में बिना विलम्ब शुल्क लिये प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश दिया जा सकेगा।

भवदीय,

(डॉ. अनूप श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांक: एफ. 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2013/197

दिनांक: 10 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि: वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशात्मक संस्कृत शिक्षा, निकाश, राजस्थान, जयपुर

(डॉ. अनूप श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि समस्त शास्त्री/प्राचार्य महाविद्यालयों के प्राचार्यों को
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

21511-40
12.9.2014

निदेशक
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान
जयपुर